power projects should come through the process of competitive bidding instead of MOU route. The cut off date is 18.2.1995. Soliciting private power projects through MOU route after 18.2.1995 is not allowed and Government of India is not aware so far of any MOU being signed after 18.2.1995.

Oustees of Rihand Super Thermal Power Plant

5367. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of flouting of the policy of safeguarding the interests of Schedules Castes and weaker sections of the Society by National Thermal Power Corporation (NTPC) involving such weaker sections and persons belonging to Scheduled Castes who are ousiees of Rihand Super Thermal Power Plant;

(b) if so, what action Government propose to take in the matter;

(c) whether Government propose to hold talks with the affected farmers of this area for a peaceful solution of their problems; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHIMANBHAI PATEL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) NTPC is holding discussions with the effected farmers of the area at all levels, from time-to-time, for possible solutions to resolve their problems, under the framework of their approved policy.

राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति

5368. श्री अजीत जोगी:
श्री इसरुद्दीन सुरजेजाला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है और क्या ये बोर्ड भारी वित्तीय ऋणों से दबे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बेन चिमनभाई पटेल): (क) और (ख) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों से यह अपेक्षित है कि वर्ष के शुरू होने पर निश्चित निर्धारित परिसम्पत्तियों के 3% से अधिक अधिशेष को प्राप्त करें। वर्ष 1992-93 के लिए राज्य विद्युत बोर्डों के वार्षिक लेखों के आधार पर 17 बोर्डों में से 6 राज्य विद्युत बोर्डों नामशः हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तथा उड़ीसा 3% लाभ दर प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार 31.3.1993 को स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों के सरकारी ऋणों तथा अन्य ऋणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों के 31.3.93 के अनुसार सरकारी और अन्य ऋण

(करोड़ रु० में)

राज्य बिजली बोर्ड का नाम	सरकारी ऋण	अन्य ऋण	कुल ऋण
1	2	3	4
म०प्र० वि० बोर्ड	2417.40	3309.90	5727.30
पंजाब रा० वि० बोर्ड	3020.50	755.70	3764.20
महाराष्ट्र रा० वि० बोर्ड	3959.20	3054.90	7014.10
आन्ध्र प्रदेश रा० वि० बोर्ड	2165.03	1626.62	3791.65